संख्या-44/2025/1/909730/38-2099(99)/178/2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2025

विषय-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद-01 वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-795/प्रशि0/बजट-4(13)/2024-25, दिनांक 14 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास संस्थान-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण–क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के मानक मद-01 वेतन में हो रही बचत से उसी लेखाशीर्षक की कतिपय मानक मदों में धनराशि रू0 473.69 लाख (रूपये चार करोड़ तिहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास संस्थान-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण–क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान के मानक मद-01 वेतन में हो रही बचत से इसी लेखाशीर्षक के विभिन्न मानक मदों में धनराशि से रू0 304.75 लाख (रूपये तीन करोड़ चार लाख पचहत्तर हजार मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

---

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व **महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ** का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्यसरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व **महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ** का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व **महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ** का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)) के निम्नवत मानक मदों के नामें डाला जायेगा :-

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	14,75,000 (रुपये चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र)

3	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	29 अनुरक्षण	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
4	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
5	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**3,04,75,000 (रुपये तीन करोड़ चार लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2025/1/909730/38-2099(99)/178/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- ग्राम्य विकास अनु0-3 ।

9- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20242025-38-2099-99-178-2024

विषय:- दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों की मानक मद 01-वेतन से उसी लेखाशीर्षक की विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित लिपियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	स्थानांतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000010500 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	01 (वेतन)	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	8,38,83,000 रुपये आठ करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार मात्र	4,73,69,000 रुपये चार करोड़ तिहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र	30475000	519525000	2024-2025
कुल					₹4,73,69,000	₹30475000	519525000	

निम्नलिखित लिपियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030100 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	58 (आईटीसी संबंधित सेवाओं हेतु भुगतान)	30,00,000 रुपये तीस लाख मात्र	2,31,22,000 रुपये दो करोड़ इकतीस लाख बाईस हजार मात्र	15000000	18000000	2024-2025
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान))	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	1,13,55,000 रुपये एक करोड़ तेरह लाख पचपन हजार मात्र	6000000	7500000	2024-2025
013	2515000010500 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम	29 (अनुरक्षण)	10,00,000 रुपये दस लाख	1,00,48,000 रुपये एक करोड़ अड़तालीस हजार	7560000	8560000	2024-2025

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त / विनियोग	संवर्धन हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संवर्धन की धनराशि	संवर्धन के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
	विकास संस्थान।)		मात्र	मात्र			
013	2515000080300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान।)	16 (व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान।)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	14,75,000 रुपये चौदह लाख पचहत्तर हजार मात्र	1475000	1975000	2024-2025
013	2515000080300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान।)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद।	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	13,65,000 रुपये तेरह लाख पैंसठ हजार मात्र	500000	1200000	2024-2025
कुल				4,73,69,000	[illegible] 80475000	37145000	

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में कई कार्मिकों के सेवानिवृत्ति उपरांत पद रिक्त होने तथा आयोग द्वारा सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के पदों को न भरे जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मानक मद-01 वेतन" में लगभग धनराशि रू0 2300.00 लाख (रुपये तेईस करोड़ मात्र) बचत होने की संभावना है।

2- क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों में वर्ष 2024-25 में मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण (पी0ओ0एल0), मानक मद- 16 व्यावसायिक विशेष सेवाओं हेतु भु0, मानक मद 29-अनुरक्षण, मानक मद 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय एवं मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिए पर्याप्त बजट व्यवस्था न होने के कारण कुल धनराशि रू0 473.69 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई- बजट-1-542 / -2024-25, दिनांक 12 मार्च, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव

Signed by
Manjeet Singh
Date: 12-03-2025 12:24:26

मंजीत सिंह
अनु सचिव।